प्रेस विज्ञप्ति

30.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 29.10.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अमानतुल्लाह खान और श्रीमती मरियम सिद्दीकी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है जोकि 2016-2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के मामले में है।

ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियुक्ति में की गई अवैधताओं के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट), 1988 और भा.दं.सं., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत के.अं.ब्यू. द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दि.व.बो. की संपत्तियों के किरायेदारी के आवंटन में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक पद का दुरुपयोग और अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए पीसी एक्ट, 1988 और भा.दं.सं, 1860 के तहत एसीबी, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

अमानतुल्लाह खान के निर्देश पर उनके सहयोगी जीशान हैदर और दाउद नासिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान के कार्यकाल के दौरान उनके गलत तरीके से अर्जित धन का प्रबंधन कर रहे थे और इसका इस्तेमाल कौसर इमाम सिद्दीकी के माध्यम से 275-276, टीटीआई तिकोना पार्क, ओखला, दिल्ली में जावेद इमाम सिद्दीकी की संपत्ति की खरीद के लिए नकद भुगतान करने के लिए किया। श्री कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा हस्तलिखित जब्त सफेद डायरी से पता चला कि अमानतुल्लाह खान के करीबी सहयोगियों द्वारा तिकोना पार्क में इस संपत्ति की खरीद के लिए 27 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया गया था। ईडी की जांच में तिकोना पार्क में उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में विक्रेता जावेद इमाम सिद्दीकी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में भारी मात्रा में संदिग्ध नकदी जमा होने का पता चला।

ईडी की जांच में पता चला है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई मंजूरी लिए बिना ही "दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलीफ कमेटी" नाम से एक संगठन बना लिया। दिल्ली दंगा पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलीफ कमेटी के नाम से एक अनधिकृत बैंक खाता खोला और जनता से प्राप्त चंदे में से कुछ को अमानतुल्लाह खान के निर्देश पर नकद निकाल कर उसे सौंप दिया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे में अपने आश्रितों का पूरा ब्योरा नहीं दिया है। जांच में पता चला कि श्रीमती मरियम सिद्दीकी की शादी अमानतुल्लाह खान से हुई थी और वह पूरी तरह से अमानतुल्लाह खान पर आश्रित हैं । उल्लेखनीय है कि उनके पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और उन्होंने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जांच से पता चला है कि अमानतुल्लाह खान ने 2020 में अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती मरियम सिद्दीकी के नाम पर 19 लाख रुपये की अचल संपत्ति खरीदी थी और इसका भुगतान आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से उनके करीबी सहयोगी जीशान हैदर से प्राप्त राशि से किया गया था।

जांच के दौरान अमानतुल्लाह खान को 14 समन जारी किए गए। हालांकि, वह केवल एक समन के जवाब में पेश हुए। इसके अलावा, ईडी ने समन कार्यवाही का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ एसीएमएम राउज एवेन्यू कोर्ट में भा.दं.सं., 1860 की धारा 174 और बीएनएस की धारा 208 के तहत शिकायतें दर्ज कीं।

इस मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान, जीशान हैदर, दाउद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जावेद इमाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

09.01.2024 को जीशान हैदर, दाउद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गईं और 29.10.2024 को अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती मरियम सिद्दीकी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। माननीय न्यायालय ने मामले को 04.11.2024 को सूचीबद्ध किया है।